

26.12.2022:—यह पत्रवाली आज प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रदीप मोहन भाटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन-पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थन-पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज फरवाया जावे। प्रार्थीगण व अप्रार्थी अधिवक्तागण को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी राय सिंह के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रदीप मोहन भाटी द्वारा पहचान की गई। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
ए. ए. पखण्डा  
हनुमानगढ़